सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 303 राँची, शुक्रवार, 5 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

4 अप्रैल, 2019

संख्या-5/आरोप-1-71/2016-1619 (HRMS)-- श्रीमती हेमा प्रसाद, झा०प्र०से०, (प्रथम बैच, गृह जिला-देवघर), तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा के विरूद्ध उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-538/रा०, दिनांक 07.06.2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्रीमती प्रसाद के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप- अपर समाहर्त्ता, जामताड़ा के पत्रांक-28मु०/रा०, दिनांक 15.12.2015 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि मौजा-बुटबेरिया, थाना नं०-17 के खाता सं०-24, रकबा-33.12 एकड़ जमीन जो मुकर्ररी स्वत्व की जमीन थी एवं अविक्रयशील थी, उसे श्री सुनील सोरेन, राजस्व कर्मचारी, अंचल जामताड़ा द्वारा दिनांक 21.12.2013 को अंचल अधिकारी, जामताड़ा को समर्पित अपने जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि मौजा-बुटबेरिया, थाना सं०-17 के खाता सं०-24 मुकर्ररी रैयत राम मांझी दीगर के नाम से खतियान में दर्ज है, जो मुकर्ररी स्तत्व की जमीन है। उक्त भूमि हस्तानान्तरण योग्य है एवं विषयगत खाता सं०-24 का मुकर्ररी लगान 21.75 पै० अलावे शेष

धार्य है। उक्त प्रतिवेदन को श्री इसमाईल टुडू, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, जामताड़ा द्वारा अंचल अधिकारी, जामताड़ा को अग्रसारित किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती हेमा प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-09/रा०, दिनांक 08.01.2014 द्वारा जिला अवर निबंधक, जामताड़ा को प्रतिवेदित किया गया कि उक्त खाते की जमीन हस्तानान्तरण योग्य है।

उक्त प्रतिवेदन को आधार बनाकर अवर निबंधक, जामताड़ा द्वारा अहस्तान्तरणीय भूमि का हस्तानान्तरण निबंधित केवाला के माध्यम से किया गया, जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-20 का उल्लंघन है। "Final report on the Revision survey and settlement operation in the District of Santhal Parganas" में उक्त जमीन को रैयती अहस्तांतरणीय बताया गया है। उपायुक्त, जामताड़ा का कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-101/रा०, दिनांक 01.02.2016 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी। उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया परन्तु प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।

श्रीमती हेमा प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं(ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के प्रसंग में श्रीमती प्रसाद के पत्रांक-212, दिनांक-11.06.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। श्रीमती प्रसाद के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6446, दिनांक 26.06.2016 द्वारा उपायुक्त, जामताड़ा से मंतव्य की माँग की गई। श्रीमती प्रसाद के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक- 494/गो०(आ०), दिनांक-20.10.2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है।

श्रीमती प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, जामताड़ा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-5756, दिनांक 26.04.2017 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 439(9)/रा०, दिनांक 01.02.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

मामले के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-842(HRMS), दिनांक-12.06.2018 द्वारा श्रीमती प्रसाद के विरूद्ध विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-192, दिनांक-12.09.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत श्रीमती प्रसाद के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत् दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय विभागीय पत्रांक-8624, दिनांक 27.11.2018 द्वारा श्रीमती प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है। इसके अनुपालन में श्रीमती प्रसाद के पत्र, दिनांक 18.12.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है, जिसकी समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरांत, श्रीमती हेमा प्रसाद, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड इन पर अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	HEMA PRASAD 20060400062	श्रीमती हेमा प्रसाद, झा०प्र०से०, (प्रथम बैच, गृह जिला-देवघर), तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत् दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 303 -- 50